राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

क्रमांक : राकबो / संस्था / 2012 / 34297 दिनांक : 19/12/12

:–: विज्ञप्ति :–:

राजस्थान चतुर्थ श्रेणी सेवा (भर्ती एवं सेवा की अन्य शर्ते) नियम, 1999 के अंतर्गत राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर कार्यालय के लिए चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के रिक्त पद हेतु संलग्न प्रपत्र में आवेदन पत्र आमन्त्रित किये जाते है। जिसमें पूर्ण विवरण यथा जन्म दिनांक, शैक्षणिक योग्यता एवं अनुभव का स्पष्ट उल्लेख हो :–

1. **चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के रिक्त पद का विवरण** :–

कुल पद की संख्या	सामान्य पद		अ.जा.		अन्य पिछड़ा वर्ग	
	पुरूष	महिला	पुरूष	महिला	पुरूष	महिला
1	1	–	–	–	–	–

2. **शैक्षणिक योग्यता** – किसी मान्यता प्राप्त विधालय से पांचवी कक्षा उत्तीर्ण।
3. **पद का वेतनमान** – (4750–7440) ग्रेड पे–1300 में, 2 वर्ष की परिवीक्षा अवधि में फिक्स रूपये 4850/– प्रतिमाह देय होगा। उक्त परिवीक्षा अवधि संतोषजनक पूर्ण करने पर पूर्ण वेतनमान देय होगा अंशदायी पेंशन योजना लागू होगी।
   नोट : "ऐसे किसी अभ्यर्थी को, जो उसे प्रस्तावित किये जा रहे पद का कर्तव्यभार स्वीकार करता है, परीवीक्षा की कालावधि के दौरान, राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर नियत दर से मासिक नियत पारिश्रमिक संदत्त किया जावेगा और पद का विज्ञापन में अन्यत्र यथादर्शित वेतनमान, संबंधित भर्ती नियमों में उल्लेखित परीवीक्षा की कालावधि सफलतापूर्वक पूरी करने की तारीख से ही अनुज्ञात किया जायेगा"।
4. **आयु** – आवेदक दिनांक 01.01.2013 को 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुका हो और 35 वर्ष का नहीं हुआ हो। (परन्तु अधिकतम आयु सीमा में छूट विद्यमान नियमों में उल्लेखित प्रावधानों के अनुसार होगी)
5. **परीवीक्षा की कालावधि** –
   (1) किसी स्पष्ट रिक्ति के विरूद्व सीधी भर्ती हेतु सेवा में प्रवेश करने वाले किसी व्यक्ति को दो वर्ष की कालावधि के लिये परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणर्थी के रूप में रखा जायेगा परन्तु ऐसी नियुक्ति के पश्चात् कि वह कालावधि, जिसके दौरान कोई व्यक्ति त्तसमान या उच्चतर पद पर पदौन्नति पर रहा है परिवीक्षा की कालावधि में गिनी जावेगी।
   (2) सीधी भर्ती द्वारा सेवा में नियुक्त किसी परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणर्थी को परिवीक्षा की कालावधि के दौरान ऐसी दर से मासिक नियत पारिश्रमिक संदत्त किया जायेगा जो राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर नियत किया जाये।
6. **आवेदन की अन्तिम तिथि**
   (1) आवेदन पत्र (निर्धारित प्रपत्र में पूर्ण विवरण सहित) कर बोर्ड में पहुँचने की अन्तिम दिनांक **14.01.2013 सांय 5.00 बजे तक** (व्यक्तिशः अथवा डाक द्वारा/किसी भी माध्यम द्वारा) इसके पश्चात् प्राप्त किसी आवेदन को किसी भी परिस्थिति में स्वीकार नहीं किया जावेगा।
   (2) आवेदन पत्र के लिफाफे पर मोटे अक्षर में (चतुर्थ श्रेणी पद हेतु आवेदन पत्र) अंकित किया जाये।
   (3) आवेदन पत्र के साथ स्वंय का पूर्ण पता लिखे दो लिफाफे (Size 4" X 9"), प्रत्येक लिफाफे पर 25/– रूपये के डाक टिकिट एवं ए.डी. की पर्ची संलग्न करें।
7. **चरित्र** – सेवा में सीधी भर्ती के अभ्यर्थी का चरित्र ऐसा होना चाहिए जो उसे सेवा में नियोजन के लिये अर्हित करे। उसे ऐसे दो प्रमाण पत्र जो उसके द्वारा आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की तारीख से छः माह से अधिक पूर्व के लिखे हुय ना हो, ऐसे दो उत्तरदायी व्यक्तियों (राजपत्रित अधिकारी) के प्रस्तुत करने होंगे जो उसके रिश्तेदार ना हो।

निरन्तर 2

8. **शारीरिक योग्यता** – सेवा में सीधी भर्ती का अभ्यर्थी मानसिक एवं शारीरिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए और उसमें किसी प्रकार का कोई मानसिक या शारीरिक नुक्स नहीं होना चाहिए जो उसके सेवा के सदस्य के रूप में अपने कर्तव्यों को दक्षतापूर्वक पालन करने में बाधक हो और यदि वह चुन लिया जाये तो उसे सरकार द्वारा तत्प्रयोजनार्थ अधिसूचित चिकित्सा प्राधिकारी का इस आशय का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

9. **वैवाहिक स्थिति** – शासन के परिपत्र क्रमांक प.6(19)गृह–13/2006 दिनांक 22.05.2006 के अनुसार इस परिपत्र के जारी होने की दिनांक से राजकीय सेवा में नियुक्ति हेतु विवाह होने की स्थिति में, विवाह पंजीयन कराया जाना अनिवार्य किया गया है। अतः राजकीय सेवाओं के लिये आवेदन पत्र में भी आवेदन करने वाले आवेदक के विवाहित होने की सूरत में आवेदन पत्र में पति/पत्नी के नाम का उल्लेख करना तथा विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र या विवाह पंजीकृत नहीं होने की स्थिति में संलग्न प्रपत्र 6 में अंकित शपथ पत्र संलग्न किया जाना आवश्यक होगा।

10. **नियुक्ति के लिये निरर्हता** –

(1) कोई भी अभ्यर्थी जिसके एक से अधिक जीवित पत्नियां हैं, सेवा में नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा जब तक कि सरकार इस बात से समाधान कर लेने के पश्चात् कि ऐसा करने के लिए विशेष आधार हैं, इस नियम के किसी अभ्यर्थी पर लागू होने से छूट न दे दे।

(2) कोई भी विवाहित अभ्यर्थी सेवा में नियुक्ति का पात्र नहीं होगा जो इसे दहेज प्रतिषेध अधिनियम, 1961 (1961 का केन्द्रीय अधिनियम संख्या–20) में दिया गया है।

(3) "ऐसा कोई भी अभ्यर्थी, जिसके 01.06.2002 को या उसके पश्चात् दो से अधिक बच्चे हों, सेवा में नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा, परन्तु जहाँ किसी अभ्यर्थी के पूर्वतर प्रसव से एक ही बच्चा है किन्तु पश्चावृर्ती किसी एकल प्रसव से एक से अधिक बच्चे पैदा होते है तो बच्चों की कुल संख्या की गणना करते समय इस प्रकार पैदा हुए बच्चों को, एक इकाई समझा जायेगा परन्तु यह कि किसी अभ्यर्थी की संतानों की कुल संख्या की गणना करते समय ऐसी संतान की , जो पूर्वतर प्रसव से पैदा हुई हो और निःशक्त हो, गणना नहीं की जायेगी"।

11. **चयन प्रक्रिया** – कर बोर्ड द्वारा गठित चयन समिति द्वारा साक्षात्कार उपरान्त की गई सिफारिश के आधार पर नियुक्ति की जावेगी।

(मोहनलाल विजय)
रजिस्ट्रार
राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

क्रमांक : सम/ 34297

दिनांक : 19/12/12

प्रतिलिपि :–

1. निजी सचिव, माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर।
2. श्री प्रमोद कोठारी, कम्प्यूटर प्रभारी को प्रेषित कर लेख है कि इसे कर बोर्ड की वेबसाईट पर अपलोड करवाने का कष्ट करें।
3. कार्यालय का नोटिस बोर्ड।

रजिस्ट्रार
राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के पद हेतु आवेदन पत्र का प्रारूप

फोटो
राजपत्रित अधिकारी द्वारा सत्यापित की गयी हो, चस्पा करें

1. नाम : ....
2. पिता का नाम : ....
3. डाक का पता : ....
....
....
4. प्रवर्ग : सामान्य अ.जा. अ.ज.जा. अ.पि.व.
(अ.जा./अ.ज.जा./अ.पि.व. के संबंध में प्रमाण पत्र संलग्न करें)
5. लिंग : (पुरूष/महिला) ....
6. जन्म दिनांक : .... (प्रमाण पत्र संलग्न करें)
7. शैक्षिक अर्हता : ....
.... (प्रमाण पत्र संलग्न करें)
8. अगर आप अधिकतम आयु सीमा ....
में छूट चाहते है तो प्रमाण सहित कारण लिखें ....
9. निवासी .... (मूल निवास प्रमाण पत्र/राशन कार्ड की फोटो प्रति संलग्न करे)
10. वैवाहिक स्थिति : विवाहित/अविवाहित (जो लागू न हो, उसे काट दें) ....
11. विवाह विवरण (विवाहित होने की स्थिति में) विवाह संबंधी शपथ पत्र संलग्न करें।

पति/पत्नी का नाम	विवाह तिथि	विवाह स्थान	पंजीयन संख्या	पंजीयन स्थान	पंजीयन अधिकारी

12. संतान का विवरण (विवाहित होने की स्थिति में) ....

क्र. सं.	जीवित पुत्र/पुत्री का नाम	जन्म तिथि	आयु	क्र. सं.	जीवित पुत्र/पुत्री का नाम	जन्म तिथि	आयु
1				4			
2				5			
3				6			

13. अनुभव (यदि कोई हो तो) .... (प्रमाण पत्र संलग्न करें)
14. वर्तमान नियुक्ति, यदि कोई हो, पद ....
सेवा की अवधि और पदनाम ....
15. निकटस्थ पुलिस स्टेशन ....

नोट :–
(1) स्वंय का पूर्ण पता लिखे दो लिफाफे (Size 4" X 9"), प्रत्येक लिफाफे पर 25/– रूपये के डाक टिकिट एवं ए.डी. की पर्ची संलग्न करें।
(2) दो राजपत्रित अधिकारी से सत्यापित चरित्र प्रमाण–पत्र

स्थान :
दिनांक :

(आवेदक के हस्ताक्षर)

घोषणा पत्र

मैं अधोहस्ताक्षरकर्ता घोषणा करता हूँ कि मेरे द्वारा आवेदन पत्र में की गई समस्त पूर्तियाँ सत्य एवं सही है तथा मेरे द्वारा कोई तथ्य इसमें नहीं छुपाये गये हैं, इसमें किसी प्रकार की असत्यता पाये जाने पर मैं स्वंय जिम्मेदार रहूंगा।

स्थान :
दिनांक :

(आवेदक के हस्ताक्षर)